संख्या– 1025/68–5–2019

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर, 2019

विषयः– **अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अन्दर विद्यालय परिवर्तन एवं स्वतः नवीनीकरण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–गु0वि0/अंश0अनु0पु0अ0–नवीनी0/3603/2019–20, दिनांक 11.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के स्वतः नवीनीकरण एवं जनपद के अन्दर विद्यालय परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अन्दर विद्यालय परिवर्तन किए जाने एवं स्वतः नवीनीकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

(क) अंशकालिक अनुदेशकों के विद्यालय परिवर्तन :–

(1) अंशकालिक अनुदेशकों के परस्पर सहमति एवं अनुरोध पर जनपद के अन्दर पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन आवेदन पत्रों के अनुसार प्रथम वरीयता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।

(2) अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन सम्बन्धित विषयों के मध्य ही किया जायेगा। अर्थात् कला शिक्षा से कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वस्थ्य शिक्षा से शारीरिक एवं स्वस्थ शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा से कार्यानुभव शिक्षा।

(3) अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालय (जहाँ छात्र नामांकन 100 से अधिक हो) में रिक्त अंशकालिक अनुदेशक पद के सापेक्ष विद्यालय परिवर्तन संबंधित विषय के रिक्त स्थान के प्रति ही किया जायेगा अर्थात् कला शिक्षा से कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा कार्यानुभव शिक्षा से कार्यानुभव शिक्षा।

(4) जनपद में विद्यालय परिवर्तन सम्बन्धी आवेदन–पत्रों में निम्न क्रमानुसार वरीयता देते हुए निर्णय लिया जायेगाः–

1– विकलांग अभ्यर्थी (महिला/पुरूष)

2– विधवा/तलाक शुदा महिला

3– महिला अभ्यर्थी

4– उम्र में वरिष्ठ आवेदक

Raj-G.O.-1510.doc

Scanned by CamScanner

(5) जनपद में विद्यालय परिवर्तन के पश्चात नवीन विद्यालय में अवशेष शैक्षिक सत्र के लिए ही पुनः अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

(6) अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन/विद्यालय परिवर्तन प्रत्येक दशा में शासनादेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का जनपद में पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन/विद्यालय परिवर्तन निम्न जनपदीय समिति द्वारा किया जायेगा:–

1–	मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद	–	अध्यक्ष
2–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद	–	सदस्य सचिव
3–	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सम्बन्धित जनपद	–	सदस्य

(ख) अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण –

(1) अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र में अधिकतम 11 माह का होगा एवं सम्बन्धित का कार्यकाल एक जुलाई से 31 मई तक होगा। तदनुसार अंशकालिक अनुदेशकों को 31 मई तक का मानदेय देय होगा।

(2) अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व अवश्य प्रारम्भ की जाये एवं जिलाधिकारी की अनुमति से नवीनीकरण की कार्यवाही 31 मई के पूर्व सुनिश्चित की जाये। 31 मई के पूर्व अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण न किये जाने एवं सम्बन्धित अंशकालिक अनुदेशक के विरूद्ध अन्यथा तथ्य उद्घाटित होने पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्यवाही 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है तो सम्बन्धित अंशकालिक अनुदेशक का स्वतः नवीनीकरण माना जायेगा। तद्नुसार 31 मई से 30 जून के मध्य अनुबन्ध पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

(3) जिन अंशकालिक अनुदेशकों की सेवाएं उपयुक्त न पाई जाये उनके सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य सहित आकलन किया जाये। एकाएक सेवा समाप्त न की जायेगी अपितु ऐसे कर्मी को अपनी सेवा में सुधार लाने के लिए सुझाव/चेतावनी जिलाधिकारी की अनुमति से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी। यदि अनुदेशक की सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किया जायेगा। यदि सम्बन्धित अंशकालिक अनुदेशक की अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार की चेतावनी निर्गत नहीं की गयी है तो यह माना जायेगा कि उसकी सेवा संतोषजनक है।

(4) गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। संविदा समाप्ति हेतु निर्गत आदेश जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही मान्य होगा।

3– अंशकालिक अनुदेशकों के जनपद के अन्दर विद्यालय परिवर्तन एवं स्वतः नवीनीकरण के संबंध में यथावश्यक समय सारिणी/विस्तृत दिशा–निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

4— परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के चयन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या—3371/79—5—13—5/2010, दिनांक 31.01.2013 एवं शासनादेश संख्या—5155/79—5—13—29/2009टी.सी., दिनांक 31.01.2014 एवं शासनादेश संख्या—2895/79—5—2016—29/2009टी.सी., दिनांक 06.10.2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2— महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
3— शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र की एक अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि समस्त को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4— निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
5— निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
6— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, डायट्/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— सचिव/वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8— मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक/प्रधान कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ ।
9— गार्ड फाइल।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनुसचिव ।

Scanned by CamScanner